राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 14 APR 2011

परिपत्र

विषयः– अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति का विवरण 1.1.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पति का विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो अधिकारी उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किया जावेगा । यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होंगे । अतएवं उक्त सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.4.2011 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावें ।

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावें ।
2. अधिनस्थ सेवाओं कें सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावें ।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावें ।

राज्य सेवा अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण जो निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होंगे उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किया जावेगा तथा अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा तथा निगम, बोर्ड, सभी स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों की सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जायेगें । उक्त सूचना सार्वजनिक किए जाने की प्रकिया दिनांक 31.5.2011 तक पूरी करनी होगी ।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राज्य सेवा अधिकारी एवं अधिनस्थ सेवाओं के सभी

राजपत्रित अधिकारियों तथा निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपकमों में कार्यरत अधिकारियो को दिनांक 30.4.2011 तक अपनी अचल सम्पति विवरण उपरोक्तानुसार प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें ।

उपर्युक्त बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपर्युक्त समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की जावेगी तों उनकी विजीलेन्स क्लीयरेन्स नहीं दी जायेगी एवं पदोन्नति का परिलाभ नहीं दिया जावेगा ।

संलग्नः प्रपत्र

15/4/11

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.उप सचिव, मुख्य सचिव ।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1.संचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राज.
9.रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

वर्ष..........................(1 जनवरी...................................को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कार्मिक का नाम तथा पद जिससे वह संबंधित है ....

3. किस सेवा संवर्ग से है ....

2 वर्तमान मे धारित पद ....

4. वर्तमान वेतन ....

उस जिले उप-खण्ड तहसील तथा गाँव का नाम जिसमे सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा दूसरे अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके नाम मे धारित है तथा उस सदस्य के साथ उसका क्या संबंध है।	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है।	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर..............................

दिनांक..............................

अति–आवश्यक
व्यक्तिगत ध्यान हेतु

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांक :– राजप / डीपीसी / एसीआर / परिपत्र / 2011 / 328 दिनांकः– 2.5.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृठांकित कर लेख है कि सभी संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत राजपत्रित अधिकारीगण अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस निदेशालय में **दिनांक 09 मई 2011** तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावे ताकि संकलित कर कार्मिक विभाग को भिजवाया जा सके यदि वांछित सूचना सीधे ही कार्मिक विभाग को प्रस्तुत कर दी गयी है तो उसकी सूचना से भी अवगत करावे ।

1. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–1 / गो0प्र0)विभाग,राज0जयपुर को सूचनार्थ ।
2. निदेशक, आई0ई0सी0,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ।
3. निदेशक (प0क0) / एड्स / ई0एस0आई0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट,राज0जयपुर ।
5. समस्त प्रधानाचार्य,मेडीकल कॉलेज एवं नियंत्रक, सम्बद्व चिकित्सालय समूह ।
6. औषधि नियंत्रक (प्रथम एवं द्वितीय)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय,राज0जयपुर ।
7. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई,राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन ।
10. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान ।
11. प्राधानाचार्य, रा0 प0 क0 प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर / अजमेर ।
12. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान ।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को सूचनार्थ ।
16. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने व समस्त संबंधित को ई–मेल किये जाने हेतु ।
17. आदेश / रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर ।